

Court No. - 7**Case :-** WRIT - B No. - 22489 of 2019**Petitioner :-** Smt. Nandini Devi**Respondent :-** Deputy Director Of Consolidation Ayodhya And Ors.**Counsel for Petitioner :-** Saryu Prasad Tiwari, U.S. Sahai (Amicus)**Counsel for Respondent :-** C.S.C., I M Pandey, Krishna Kumar Dubey**Hon'ble Saurabh Lavania, J.**

1. Heard learned Counsel for the petitioner, Sri Hemant Pandey, learned State Counsel and Sri Krishna Kumar Dubey, learned Counsel for the side opposite.
2. By means of the present petition, the petitioner has assailed the order dated 05.09.2016 passed by opposite party no.2/Settlement Officer of Consolidation, Ayodhya (in short 'SOC') passed in Appeal No. 797/1866/1737 (Rajeshwari Devi Versus Nandini Devi), as also the order dated 05.04.2019 passed by opposite party no.1/Deputy Director of Consolidation, District Ayodhya (in short 'DDC') in Revision No. 859 (Nandini Devi Versus Rajeshwari Devi).
3. Brief facts of the case, are to the effect that the land in dispute i.e. Gata No. 76 (new number 66) situated at Village-Moradabad, Tehsil-Rudauli, District-Faizabad now Ayodhya, was recorded in the name of one Bhagwan Bux Singh. The Bhagwan Bux Singh expired on 04.12.1991, thereafter the name of his wife namely Rajeshwari Devi (opposite party no.3) was recorded in the revenue records in terms of ***Section 171 of U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950*** (in short 'Act of 1950') as applicable at relevant point of time. Section 171 of the Act of 1950, applicable at relevant point of time reads as under:-

"[171. General order of succession -

*Subject to the provisions of Section 169, when a bhumidhar [**] or asami being a male dies, his interest in his holding shall devolve in accordance with the order of succession given below-*

(a) the male lineal descendant in the line of descent in equal shares per strips:

Provided first that, the son of a pre-deceased son how low-so-over shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son, had he been alive:

Provided secondly that, subject to the provisions of the first proviso, the share of a predeceased male lineal descendant will devolve upon his widow who has not remarried, and

Provided thirdly that if no male lineal descendant in male line of descent is alive the inheritance shall be governed by clause (b);

(b) widow and widowed mother and widow of a pre-deceased male lineal descendant in the male line of descent, who have not remarried:

Provided first that co-widows will together get one share, and

Provided secondly that the widow of a nearer descendant will exclude that of a remoter one in the same branch;

(c) [Deleted.]

(d) father;

(e) [Deleted.]

(ee) unmarried daughter;

(f) brother, being the son of the same father as the deceased;

(ff) unmarried sister;

(g) married daughter;

(h) daughter's son;

(i) brother's son, the brother having been son of the same father as the deceased;

(j) father's father;

(k) father's mother, who has not remarried;

(l) son's daughter;

(m) married sister;

(n) half-sister being the daughter of the same father as the deceased;

(o) sister's son;

(00) half-sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(p) brother's son's son;

(q) father's father's son ;

(r) father's father's son's son.]"

4. After the aforesaid, during consolidation proceedings, the petitioner namely Smt. Nandini Devi wife of Devendra Kumar Singh daughter of

(Bhagwan Bux Singh and Rajeshwari Devi) raised her claim over the property in dispute i.e. Gata No. 76 (new number 66), detailed above.

5. It would be apt to indicate that the claim of the petitioner before the authorities under the Act of 1953 as also before this Court is based upon the unregistered 'Will' dated 03.12.1991.

6. During the consolidation proceedings in a chak, Appeal No. 1418 of 2023 (Munni Devi Versus Bhagwan Bux Singh and Others), the statement(s) of attesting witness(es) of 'Will' dated 03.12.1991 were recorded and based upon the same the petitioner (Smt. Nandini Devi) and opposite party no. 3 (Rajeshwari Devi) were substituted in place of Bhagwan Bux Singh (died during the pendency of appeal on 04.12.1991) and a compromise was also filed in the said appeal and therefore appellate authority namely SOC, referred the matter to Assistant Consolidation Officer concerned.

7. The copies of the statement(s) of attesting witnesses have been placed on record by means of filing supplementary affidavit dated 07.03.2024 and perusal thereof, would show that these witnesses were not cross examined and at this stage, on being asked as to whether these statements can be considered, learned Counsel for the petitioner very fairly stated that these statements cannot be considered, as per law.

8. After the order passed by the SOC dated 20.01.1992, the ACO proceeded in the matter and passed the order dated 24.02.1992. This order dated 24.02.1992 was passed in case no. 125 under Section 12 of the Act of 1953 (Rajeshwari Devi Versus Bagwan Bux Singh (since died)). The order dated 24.02.1992 passed by Assistant Consolidation Officer, Ayodhya, on reproduction reads as under:-

"पत्रावली पेश हुई। पक्ष हाजिर आये। निम्न शर्तवार किया। हस्तहार जारी कराया गया, मियाद अन्दर इस्तहार के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं आयी तथा दिनांक 24.2.92 को दोनों पक्षों के बीच समझौता प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान मु० वसीम ने दस्तक दिया। ग्राम मुरादाबाद की आकार पत्र 23 भाग-1 के क्रमांक 73, 89 तथा 76 के सेक्टर नं० 2 प्रथम चक व सेक्टर नं० 5 द्वितीय चक मृतक भगवान बख्श सिंह पुत्र छंग्गा सिंह निवासी मुरादाबाद का नाम खारिज करके मु० राजेश्वरी देवी बेवा भगवान बख्श सिंह नि० मुरादाबाद का नाम बतौर वारिस दर्ज करने की मांग की गई है तथा क्रमांक 76 के सेक्टर नं० 6 तृतीय चक से मृतक भगवान बख्श सिंह पुत्र छंग्गा सिंह का नाम खारिज करके श्रीमी नन्दिनी पत्नी देवेन्द्र कुमार सिंह नि० मुरादाबाद का नाम बतौर समझौता द्वारा दर्ज करने की मांग की गई है।

समझौता पढ़कर सुनाने के बाद मु० वसीम प्रधान ने तसदीक किया। "

9. Being aggrieved by the order dated 24.02.1992 passed by ACO, opposite party no.3/Rajeshwari Devi wife of Bhagwan Bux Singh, mother of present petitioner namely Nandini Devi, preferred an appeal under Section 11(1) of the Act of 1953. The appeal was filed with some delay. After considering the facts and material available on record, the SOC condoned the delay and decide the appeal no. 797/1866/1737 filed by opposite party no.3/Rajeshwari Devi, challenging the order dated 24.02.1992, on merits vide order dated 05.09.2016.

10. The SOC after considering the entire facts and circumstances of the case including the signature over the compromise in issue, as also **Section 171(2) of the Act of 1950**, decided the case in favour of opposite party no.3/Rajeshwari Devi and rejected the claim of the petitioner by impugned order dated 05.09.2016. The relevant portion of the same reads as under:-

"जहां तक इस मामले में गुणदोष पर विवेचना का प्रश्न है, चूंकि अपीलार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर अपनी बहस की गई है परन्तु प्रतिपक्षी द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अपील के गुणदोष पर अपना कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध उनके प्रतिवाद पत्र में किये गये कथन तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस अपील में गुणदोष पर निर्णय किया जा रहा है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वाद सं० 125 अन्तर्गत धारा 12 जो०च०अ० समझौता व आदेश दिनांक 24.02.92 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सं०च०अ० न्यायालय पर प्रस्तुत वाद पत्र के स्तम्भ 6 में नामान्तरण का आधार "वजरिये वरासत" अंकित है तथा स्तम्भ 7 में वादी/प्रतिवादी का नाम व पता अंकित है। जिसमें वादी के रूप में राजेश्वरी देवी व प्रतिवादी के रूप में भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह का नाम अंकित करके वादी के रूप में सबसे नीचे राजेश्वरी देवी विधवा भगवान बक्श सिंह का नाम व निशानी अंगूठा अंकित है। उक्त वाद पत्र पर वाद में भिन्न कलम व हस्तलिपि में क्रमांक 2 डालकर नन्दिनी पत्नी देवेन्द्र कुमार का नाम स्तम्भ 8 में अंकित किया गया है, जिसके इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा जिला फैजाबाद में प्राथमिकी दर्ज है जिसकी विवेचना श्री सुनील कुमार उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है, इसलिए इस बिन्दु पर अलग से कोई मत अंकित किया जाना विधि संगत नहीं प्रतीत होता है क्योंकि इससे पुलिस द्वारा की जा रही अपराधिक विवेचना प्रभावित हो सकती है। अवर न्यायालय की पत्रावली में दिनांक रहित एक समझौता पत्र दाखिल है जिसमें कहा गया है कि विवादित भूमि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही वादिनी सं० 2 के पिता भगवान बक्श सिंह के नाम दर्ज रही है जिसमें उनके पिता ने पूर्व चकबन्दी में मु०नं० 11/1 तारीख फैसला 11.7.57 से उसके पक्ष में विभाजन कर दिया जो आराजी नं० 35, 113, 141, 148/1, 307 व 352 धारा 210 के अन्तर्गत वह सीरदार घोषित कर दी गयी। इसके बाद भी विवादित नम्बरान प्रतिवादी के नाम दर्ज चला आ रहा है इसलिए आपसी समझौता के आधार पर चक सं० 73 व 89 तथा चक सं० 76 के प्रथम व द्वितीय चक पर मु० राजेश्वरी देवी तथा तृतीय चक पर नन्दिनी पत्नी देवेन्द्र कुमार का नाम दर्ज किया जाये। इस सुलहनामा को मु० वसीम प्रधान ने तसदीक किया है जिस पर सं०च०अ० का सूक्ष्म हस्ताक्षर व दिनांक 24.7.92 अंकित है। इसी सुलहनामा का उल्लेख करके सं०च०अ० द्वारा समझौता व आदेश दिनांक 24.2.92 पारित किया गया है जिस पर मु० वसीम प्रधान का हस्ताक्षर तथा राजेश्वरी देवी व नन्दिनी का अंगूठा चिन्ह अंकित किया गया है। अवर न्यायालय की पत्रावली में अथवा अपीलार्थिनी की कार्यवाही के दौरान नन्दिनी देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है जो उनके पूर्व चकबन्दी में विवादित भूमि के सम्बन्ध में आदेश होने सम्बन्धी कथन को पुष्ट करता हो। उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 12 की व्यवस्था के अनुसार धारा 10 के प्रकाशन के बाद उत्पन्न

कार्य कारण के निस्तारण हेतु नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है जिसमें किसी प्रकार स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु स्वत्व की मांग के लिए जो च0अ0 की धारा 9 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का विधान है परन्तु प्रतिपक्षी नन्दिनी की ओर से ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो इसका न तो पत्रावली पर कोई साक्ष्य है और न ही उनके द्वारा ऐसा कोई कथन प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपील स्तर पर दाखिल छायाप्रति कागजात का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। जो0च0अ0 की धारा 12 के अन्तर्गत योजित प्रश्नगत वाद में अवर न्यायालय को केवल मृतक भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह की वरासत सम्बन्धी आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त था। तत्समय प्रभावी उ0प्र0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 171 उपधारा (2) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपीलार्थिनी राजेश्वरी देवी मृतक भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह जो पुंजातीय वंशज न होने के कारण क्रमांक क पर वर्णित एक मात्र विधवा होने के कारण एक अकेली जायज वारिस होती है। तत्समय उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व0 अधिनियम 1950 की धारा 171 की उपधारा (1) के खण्ड (11) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को वर्जित कर लेंगे, अर्थात् खण्ड (1) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा और इसी प्रकार उत्तरवर्ती क्रम जारी रहेगा। प्रतिपक्षी नन्दिनी देवी विवाहित पुत्री होने के नाते उत्तराधिकार क्रमांक घ पर है इसलिए उपर वर्णित व्यवस्था के अनुसार वह मृतक भगवान बक्श सिंह की जायज वारिस नहीं हो सकती है और न ही उन्हें जो0च0अ0 की धारा 12 के तहत कोई स्वत्व प्रदान किया जा सकता है। उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में जो0च0अ0 की धारा 12 के अन्तर्गत स0च0अ0 द्वारा समझौता के आधार पर चक सं0 76 के तृतीय चक पर प्रतिपक्षी नन्दिनी पत्नी देवेन्द्र कुमार के पक्ष में पारित आदेश क्षेत्राधिकार से परे एवं इस धारा के अन्तर्गत विचारणीय न होने के कारण खण्डित होने योग्य है तथा विवादित भूमि पर मृतक भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह के स्थान पर राजेश्वरी देवी पत्नी भगवान बक्श सिंह ग्रामवासी का नाम बतौर वारिस दर्ज किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है। तदनुसार यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत अपील स्वीकार की जाती है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित समझौता/आदेश दिनांक 24.2.92 क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खण्डित किया जाता है। ग्राम मुरादाबाद, परगना व तहसील रुदौली जिला फैजाबाद की चक सं0 73, 76 तथा 89 से मृतक भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह ग्रामवासी का नाम खारिज करके राजेश्वरी देवी विधवा भगवान बक्श सिंह ग्रामवासी का नाम बतौर विधिक वारिस दर्ज हो। पक्षकार सूचित हों तथा अग्रतर कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।"

11. Being aggrieved by the order dated 05.09.2016, the petitioner instituted a revision being Revision No.859/2016530423000049 (Nandini Devi Versus Rajeshwari Devi), under Section 48 of the Act of 1953.

12. By the impugned order dated 05.04.2019, the opposite party no.1/D.D.C. Ayodhya, rejected the revision and affirmed the order dated 05.09.2016 passed by opposite party no.2/SOC. The relevant portion of order dated 05.04.2019, reads as under:-

"निगरानीकर्ती की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि राजेश्वरी देवी ने दिनांक 15.11.16 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा है कि मैंने कोई अपील दाखिल नहीं किया है। किसी अन्य व्यक्ति ने अपील दाखिल किया है। जब नोटिस प्राप्त हुयी तब उक्त वाद की जानकारी हुयी है। इनका तर्क है कि वाद संख्या 125 में धारा-12 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 24.02.92 को समझौते के आधार पर आदेश पारित किया गया है। भगवानबक्श मृतक की वरासत का विवाद था। इनका तर्क है कि प्रथम चक चकबन्दी के खाता संख्या 55 भगवान बक्श के नाम खाता था। इसी खाते पर आदेश दिनांक 11.07.57 के द्वारा नन्दिनी देवी का नाम बतौर सीरदार अंकित होने का आदेश हुआ है किन्तु इसका अनुपालन अग्रिम अभिलेखों में नहीं हुआ था किन्तु

उसका चक अलग बना हुआ था। गलती से अग्रिम अभिलेखों में भगवानबक्श का नाम दर्ज हो गया था। दिनांक 03.12.91 को भगवान बक्श सिंह ने अपंजीकृत वसीयतनामा अपनी पत्नी के पक्ष में तहरीर किया तथा उल्लेख किया गया कि इन्हें बेचने व ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा तथा राजेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिणी नन्दिनी देवी होंगी। दिनांक 04.12.91 को भगवानबक्श मर गये। दिनांक 20.01.92 को राजेश्वरी देवी व नन्दिनी देवी के मध्य सुलह हुयी। इसी सुलहनामों के आधार पर दिनांक 24.02.92 को आदेश पारित हुआ है। इनका तर्क है कि आदेश दिनांक 24.02.92 की जानकारी राजेश्वरी देवी को है एवं उसके द्वारा वर्ष 1998 में बैनामा किया गया है। राजेश्वरी देवी द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष कोई अपील संस्थित नहीं की गयी है। सुबुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि वाद धारा-9क(2) के अन्तर्गत होना चाहिए था जो धारा-12 में हुआ है। यह अधिवक्ता की सलाह पर है। इनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपील को स्वीकार करके वाद भूमि पर राजेश्वरी देवी का नाम अंकित किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि निगरानी स्वीकार की जाय तथा अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त करके पत्रावली पुनः गुणदोष पर निस्तारण हेतु अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाय। इनकी ओर से इस न्यायालय का ध्यान आर0जे0 1991 पेज 335 की ओर आकृष्ट कराया गया है।

उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों में मुख्य रूप से कहा गया है कि दिनांक 24.02.92 को पारित आदेश के अनुपालन में जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 में राजेश्वरी का नाम आया। इसी आदेश में जालसाजी की गयी। इसी जालसाजी के आधार पर धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम में वाद दाखिल किया गया। जिस पर उप जिलाधिकारी ने आदेश दिनांक 31.12.2014 पारित किया है। इनका तर्क है कि उसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया। आदेश स्थगित हुआ तथा खारिज हो गया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया जो चल रहा है। दिनांक 29.4.2015 को अपील दाखिल हुयी है। सुबुद्ध अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 1957 में नन्दिनी की आयु 07 वर्ष थी इसलिए इतने कम उम्र में सीरदार कैसे हुयी? जो समझौता दाखिल हुआ उसे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष नहीं रखा गया। सुबुद्ध अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि चकबन्दी में पारित आदेश के अनुपालन हेतु नियम 109 में कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि चकबन्दी के आदेश के अनुपालन हेतु धारा-33/39 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया। सुबुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 1957 में यदि कोई आदेश था तो द्वितीय चक चकबन्दी में उसे क्यों नहीं उठाया गया। कोई भी पंजीकृत अभिलेख नहीं है। सुबुद्ध अधिवक्ता का तर्क है कि भगवान बक्श सिंह मृतक के स्थान पर उनकी विधवा राजेश्वरी देवी का नाम सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा अंकित किया गया था और उसी अनुसार अभिलेख भी निर्मित हुये थे। नन्दिनी देवी द्वारा अभिलेखों में जालसाजी कराकर अपना नाम अंकित करा लिया गया था जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा कूटरचना के आधार पर अंकित पाते हुए निरस्त कर दिया गया है तथा मृतक भगवान सिंह के स्थान पर उनकी विधवा राजेश्वरी देवी का नाम उचित रूप से अंकित किया गया है। अपीलीय न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है निगरानी निराधार है एवं निरस्त की जाय।

मैंने अवर न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध आदेश, सभी संगत साक्ष्यों का विधि के आलोक में विहंगम परिशीलन एवं परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वय की तर्कपूर्ण बहस सुना। स्पष्ट है कि ग्राम मुरादाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित रहते ही खातेदार भगवानबक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह का देहान्त हो गया। राजेश्वरी देवी द्वारा धारा-12 के अन्तर्गत चक संख्या 89, 73, व 76 पर मृतक भगवान सिंह के स्थान पर विधवा के रूप में नाम अंकित करने हेतु नामान्तरण वाद प्रस्तुत किया गया एवं स्तम्भ 06 में नामान्तरण का आधार बजरिये वरासत अंकित है। स्तम्भ 7 में वादी व प्रतिवादी का नाम व पता अंकित है। वादी के रूप में राजेश्वरी देवी विधवा भगवानबक्श सिंह तथा प्रतिवादी के रूप में भगवानबक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह अंकित है तथा इसके नीचे राजेश्वरी देवी विधवा भगवानबक्श सिंह का नाम व निशानी अंगूठा लगा है। उक्त वाद पत्र पर विशेष विवरण के कालम में नन्दिनी पत्नी देवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम मुरादाबाद परगना व तहसील रुदौली जिला बाराबंकी भिन्न कलम से भिन्न लेख में लिखा गया है एवं राजेश्वरी के नाम के ऊपर कोष्ठक

बनाकर एक एवं नन्दिनी के नाम के ऊपर कोष्ठक बनाकर दो लिखा गया है। इस कूटरचना के सम्बन्ध में थाना पटरंगा जिला फैजाबाद में प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी विवेचना की जा रही है। इस बिन्दु पर अलग से कोई मत व्यक्त किया जाना विधिसंगत नहीं है। अवर न्यायालय की पत्रावली में दिनांक रहित एक समझौता पत्र दाखिल है जिसमें उल्लेख है कि मुकदमा नं० 11/1 तारीख फैसला 11.07.57 के द्वारा भगवानबक्श सिंह के नाम अंकित भूमि, भूमि संख्या 35, 113, 141, 148/1, 307 व 352 नन्दिनी देवी सीरदार घोषित कर दी गयी। इसके बाद भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी का नाम दर्ज चला आ रहा है। इसलिए आपसी समझौता के आधार पर चक संख्या 73,89 तथा 76 के प्रथम व द्वितीय चक पर मु० राजेश्वरी देवी तथा तृतीय चक पर नन्दिनी देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार का नाम दर्ज किया जाय। इस सुलहनामा को मु० वसीम प्रधान ने तस्दीक किया है। निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो पूर्व चकबन्दी में विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित किये गये आदेश की पुष्टि करता हो। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत ग्राम में धारा-10 के प्रकाशन के पश्चात् उत्पन्न वाद कारण के निस्तारण हेतु उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-12 की व्यवस्था है। इस प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम चक चकबन्दी के जिस आदेश के अनुसार सुलहनामे के आधार पर आदेश का होना कहा गया है, उक्त कार्यवाही हेतु नियमानुसार ग्राम में धारा-9 के प्रकाशन के पूर्व सत्यापन खतौनी के समय तत्सम्बन्धी विवाद निर्मित होना चाहिए था एवं धारा-9 के प्रकाशन के उपरान्त तत्सम्बन्धी आपत्ति भी प्रस्तुत होकर नियमानुसार साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का गुणदोष पर निस्तारण होना चाहिए था। इस प्रकरण में ग्राम में सत्यापन खतौनी के समय ऐसा कोई तनाजा निर्मित हुआ और न ही वाद भूमि पर निगरानीकर्ता के कब्जे का ही कोई तनाजा निर्मित हुआ और न ही निगरानीकर्ता की ओर से प्रथम चक चकबन्दी में पारित आदेश का अनुपालन नियम 109 के अन्तर्गत कराया गया और न ही द्वितीय चक चकबन्दी प्रारम्भ होने के उपरान्त धारा-9 के अन्तर्गत ऐसा कोई आपत्ति ही प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध द्वितीय चक चकबन्दी के जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भगवान बक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह के देहान्त के उपरान्त राजेश्वरी देवी द्वारा धारा-12 के अन्तर्गत प्रस्तुत नामान्तरण वाद में पारित आदेश के अनुसार चक संख्या 89, 73, व 76 के सभी चको से निर्मित जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 में भगवानबक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह के स्थान पर श्रीमती राजेश्वरी देवी विधवा भगवानबक्श सिंह ग्रामवासी का नाम अंकित हुआ है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि धारा-12 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद संख्या 125 में पारित सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 24.02.92 के द्वारा चक संख्या 73, 89, व 76 के सेक्टर नं० 02 प्रथम चक व सेक्टर नम्बर 05 द्वितीय चक पर मु० राजेश्वरी देवी बेवा भगवान बक्श सिंह एवं क्रमांक 76 के सेक्टर नं० 6 के तृतीय चक पर श्रीमती नन्दिनी देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार सिंह का नाम अंकित हुआ होता तो तत्समय ग्राम के अन्तिम अभिलेख निर्मित करते समय जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 पर आदेश दिनांक 24.02.92 के अनुपालन में चक संख्या 76 के तृतीय चक गाटा संख्या 71मि० आदि कुल 06 किता क्षेत्रफल 2.929 हे० से निर्मित नवीन गाटा संख्या 66/2.929हे० श्रीमती राजेश्वरी देवी बेवा भगवानबक्श सिंह के नाम अंकित न होकर श्रीमती नन्दिनी देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार सिंह के नाम अंकित हुआ होता किन्तु नवीन गाटा संख्या 66/2.929हे० जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 की खाता संख्या 100 में चक संख्या 76 प्रथम व द्वितीय के नवीन गाटा संख्या 47 व 49 के साथ राजेश्वरी देवी का अकेले नाम अंकित होना स्पष्ट करता है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा-12 के अन्तर्गत मृतक भगवानबक्श सिंह के स्थान पर वरासतन उनकी विधवा श्रीमती राजेश्वरी देवी का नाम ही अंकित किया गया था और उसी अनुसार ग्राम के अन्तिम अभिलेख निर्मित किये गये थे।

सहायक चकबन्दी अधिकारी की वाद पत्रावली संख्या 125 अन्तर्गत धारा-12 के साथ संलग्न नामान्तरण वाद पत्र में विशेष विवरण के स्तम्भ 8 में भिन्न कलम व भिन्न लेख से नन्दिनी देवी पत्नी देवेन्द्र कुमार बढ़ाया जाना तथा पत्रावली में संधिपत्र

संलग्न करके उसके आधार पर आदेश निर्मित किया जाना स्पष्ट करता है कि कूटरचना के आधार पर पूर्व पारित आदेश हटाकर नवीन आदेश रखा गया है क्योंकि यदि वस्तुतः यही आदेश पारित हुआ होता तो ग्राम के अन्तिम अभिलेख इसी अनुसार निर्मित किये जाते।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश यदि जोत चकबन्दी आकार पत्र- 41 व 45 में क्रियान्वित करने से छूट भी गया है तो भी इसका क्रियान्वयन लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा-33/39 में नहीं हो सकता। ऐसे आदेशों को प्रथमतः जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-48(3) में परीक्षित करने के बाद नियम 109ए(1) में अनुपालित किया जाना चाहिए। लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा-33/39 की परिधि मात्र खतौनी की लिपिकीय एवं अंकगणितीय त्रुटि को शुद्ध करने की है जो धारा-52(1) जोत चकबन्दी अधिनियम में प्रख्यापन के बाद तहसील में हो जाती है।

एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि किसी भी न्यायालय में उत्तराधिकार का सामान्य क्रम परिवर्तित नहीं होता है। सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष भगवानबक्श सिंह पुत्र छंगा सिंह के उत्तराधिकार के विषय में प्रार्थना पत्र दिया गया। जब भगवानबक्श सिंह की विधवा राजेश्वरी देवी जीवित थी तो नन्दिनी देवी भी भगवानबक्श सिंह की उत्तराधिकारिणी राजेश्वरी देवी (मां) के जीवनकाल में कैसे हो सकती थी?। इस विषय में भले ही कोई संधि माँ-बेटी में हुयी हो, परन्तु कोई भी संधि प्रचलित विधि के विरुद्ध स्वीकार नहीं हो सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राजेश्वरी देवी व भगवानबक्श सिंह की तीन पुत्रियाँ हैं। सभी अपने-अपने पक्ष में वसीयतनामा की बात करती हैं। चूँकि ग्राम में धारा-52(1) का प्रख्यापन हो चुका है, इसलिए वाद कारण अब चकबन्दी न्यायालयों की परिधि में नहीं है। इसका सही परीक्षण राजस्व न्यायालय से ही हो सकता है। इतना अवश्य है कि जब भगवानबक्श सिंह के द्वारा उनके जीवनकाल में ही निष्पादित एक तथाकथित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 03.12.91 था, जिसमें यह स्पष्ट था कि राजेश्वरी देवी, भगवानबक्श सिंह से प्राप्त भूमि को विक्रय नहीं कर सकती और राजेश्वरी देवी की मृत्यु के बाद उनकी मात्र एक पुत्री नन्दिनी देवी ही उत्तराधिकारिणी होगी तब राजेश्वरी देवी द्वारा वर्ष 1998 में भूमि विक्रय करने पर नन्दिनी देवी द्वारा विरोध क्यों नहीं किया गया?। दूसरे यह कि जब राजेश्वरी देवी के बाद उक्त वसीयतनामों के आधार पर नन्दिनी देवी उत्तराधिकारिणी बनती, तब भगवानबक्श की मृत्यु के बाद उन्हें राजेश्वरी देवी के साथ ही एक अंश पर सहभूमिधर बनने की क्या आवश्यकता थी?। निगरानीकर्ता के सुबुद्ध अधिवक्ता इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के सुबुद्ध अधिवक्ता का यह कथन कि राजेश्वरी देवी द्वारा कोई अपील नहीं की गयी, स्वीकान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलीय स्तर पर दो बाद नन्दिनी देवी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संस्थित की थी। याचिका संख्या 17883/2016 श्रीमती नन्दिनी देवी बनाम डी0डी0सी0 फैजाबाद व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.08.2016 में स्पष्ट कर दिया है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी वाद का निस्तारण गुणदोष पर करेंगे। उन्हें वाद को निस्तारित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्ती अंश निम्नवत् है :-

"Without commenting anything on the merit of the case, this court directs that the matter pending before the settlement officer of Consolidation, Faizabad shall be decided by settlement officer of Consolidation Faizabad on merit also. However, so far the jurisdiction is concerned, the settlement officer of consolidation shall have all the jurisdiction to decide the matter."

जब अपीलीय स्तर पर ही माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गुणदोष पर निस्तारित करने का आदेश दे दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को इस वाद को निस्तारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तब निगरानी स्तर पर यह तकनीकी बिन्दु उठाना कि अपील राजेश्वरी देवी द्वारा नहीं दाखिल थी अथवा अपील अतिशय कालबाधित थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निगरानीकर्ता के सुबुद्ध अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था आर0जे0 1991 पेज 335 इस प्रकरण पर लागू नहीं है।

प्रकरण में मुख्य बिन्दु सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 24.02.92 में की गयी कूटरचना से था। इस पर ऊपर विवेचित किए अंश के अनुसार न तो सहायक चकबन्दी अधिकारी को संधि पत्र के आधार पर माता के जीवित रहते, पिता कि भू-सम्पत्ति में, तीन में से मात्र एक पुत्री नन्दिनी देवी का नाम अंकित करने का अधिकार ही था और न, ही ऐसे किसी आदेश का क्रियान्वयन लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा-33/39 में ही किया जा सकता है। क्योंकि चकबन्दी में जो अन्तिम अभिलेख निर्मित हुए, उसमें भगवानबक्श पुत्र छंगा सिंह के स्थान पर मात्र उनकी विधवा पत्नी राजेश्वरी देवी पत्नी भगवानबक्श का ही नाम अभिलिखित किया गया, इससे स्पष्ट है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी का आदेश मात्र उतने अंश तक ही था। कोई कारण विद्यमान नहीं है कि आधे आदेश का पालन हो और आधा छूट जाय।

ऐसी स्थिति में, मैं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता नहीं पाता हूँ। निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी निरस्त किया जाता है। पत्रावली अग्रेतर कार्यवाही के उपरान्त राजस्व अभिलेखालय में संचित हो।"

13. Learned Counsel for the petitioner assailing the impugned order(s) stated that in view of recitals of the 'Will' dated 03.12.1991, the testator Raj Bux Singh, has provided life time interest to the Rajeshwari Devi and as such the petitioner is entitled to rights over the property in dispute i.e. Gata No. 66, detailed above on the basis of 'Will' dated 03.12.1991 and also the compromise filed before ACO, the basis of order dated 24.02.1992 of A.C.O.

14. Per contra, the learned Counsel for the side opposite submitted that the claim of the petitioner is liable to be rejected and the present petition is liable to be dismissed for the reasons that 'Will' dated 03.12.1991 the basis of claim of the petitioner, was not proved before the authorities under the Act of 1953 and this is undisputed fact and also that alleged compromise was in violation of law.

15. Considered the aforesaid and perused the records.

16. So far as the claim of the petitioner based upon the undisputed 'Will' dated 03.12.1991 is concerned, the same has no force. It is for the reason that undisputedly the unregistered 'Will' dated 03.12.1991, the basis of the claim of the petitioner, was not proved, as per law, before the authorities under the Act of 1953.

17. In regard to claim based upon the compromise, this Court finds it appropriate to refer some pronouncements.

18. In the case of *Shiv Prasad Versus Deputy Director of Consolidation, Ghazipur and Ors.* reported in *2006 SCC OnLine All 1485*, this Court observed as under:-

"7. On the basis of pleadings and arguments of the parties, the first question that arises for consideration is whether under the U.P. Consolidation of Holdings Act a compromise could be entered into between the parties as contemplated under the C.P.C. at any stage in proceedings arising out of Section 9-A(2)/Section 11/Section 12/Section 21/Section 48 of the U.P. Consolidation of Holdings Act, secondly, whether title of the parties in the land which is creation of a statute could be determined on the basis of a compromise for exclusive title or for determination of share in a joint holding and, thirdly, whether a person could be declared as Bhumidhar, Sirdar or Asami on the basis of a compromise in the proceeding under the U.P. Consolidation of Holdings Act or any other proceeding under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act without any title in law.

8. Before delving into this question, I feel called to advert to certain provisions of U.P. Consolidation of Holdings Act. Section 3(4-C) of the U.P. Consolidation of Holdings Act defines land, same is being reproduced as under:—

“3(4-C) ‘Holding’ means a parcel or parcels of land held under one tenure by a tenure-holder singly or jointly with other tenure-holders.”

Section 3(11) defines tenure-holder which runs as under:—

“3(11) ‘Tenure-holder’ means a (bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable rights), and includes—

- (a) an asami,
- (b) a Government lessee or Government grantee, or
- (c) a co-operative farming society satisfying such conditions as may be prescribed.”

9. Definition in Section 3(12) also makes it clear that “Words and expressions not defined in this Act but (used or) defined in the U.P. Land Revenue Act, 1901, but (used or) in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 shall have the meaning assigned to them in the Act in which they are so (used or) defined.”

10. Under the U.P. Consolidation of Holdings Act, the procedure prescribed is that after spot verification, as required under the Act and the Rules, Consolidation Officer shall prepare a statement of principles under Section 8-A as well as

statement under Section 8 of the U.P. Consolidation of Holdings Act on verification of map and land record, thereafter, record shall be published and the statement showing the mistakes (undisputed cases of succession) and disputes discovered during the test and verification of the record of right during the course of the field to field portal shall be published in the village. Any objection to that shall be filed on publication of record under Section. 9 of the U.P. Consolidation of Holdings Act before Assistant Consolidation Officer disputing the correctness and nature of the entries in the record or in the extract furnished therefrom or in the statement of principles, or the need for partition. At the stage of Assistant Consolidation Officer, the only provision under which a compromise, by way of conciliation, could be entered into is Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules which is being reproduced below:—

“25-A. Sections 9-A, 9-B and 9-C.—(1) The Assistant Consolidation Officer shall, as far as possible, deal with all the objections filed by a tenure-holder with regard to matters referred to in clause (i) of sub-section (1) of Section 9-A and sub-section (1) of Section 9-B in village itself. In decided dispute on the basis of conciliation in terms of sub-section (1) of Section 9-A, he shall record the terms of conciliation in the presence of at least two members of the Consolidation Committee of the village. These terms shall then be read over to the parties concerned and their signatures or thumb impressions obtained. The members of the Consolidation Committee present shall also sign the terms of conciliation specifying the precise entries to be made in the records. Details of the operative part of the orders passed by the Assistant Consolidation Officer shall be noted in the Misiband register. No ex-parte order or orders in default shall be passed by the Assistant Consolidation Officer.

(2) In all cases in which the Assistant Consolidation Officer sends a report, under the provisions of sub-section (2) of Section 9-A, or sub-section (1) of Section 9-B to the Consolidation Officer for disposal, he may fix a date and place for the disposal of the cases by the Consolidation Officer and communicate the same to the parties present before him and issue notices in C.H. Form 6-A to the parties not so present. The report of the Assistant Consolidation Officer in such cases clearly brings out the points in dispute between the parties and the efforts made by him to reconcile them.”

11. The quintessence of the above rule i.e. Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules at the risk of repetition is that at the stage of Assistant Consolidation Officer conciliation may take place in terms of sub-section (1) of Section 9-A and sub-section (1) of Section 9-B and Assistant Consolidation Officer shall record terms of conciliation in the presence of two members of Consolidation Committee. The terms shall then be read over to the parties concerned and their signature and thumb impression shall be obtained. The members of Consolidation Committee shall also sign the terms of conciliation and then Assistant Consolidation Officer shall pass orders deciding dispute in terms of conciliation. The details of the operative part of the order passed by the Assistant Consolidation Officer, it is further envisaged in the Rule, shall be noted in the Misiband Register. No ex parte order or order in default shall be passed by the Assistant Consolidation Officer. All disputed cases received from the Assistant Consolidation Officer shall be entered in the Misiband Register in the office of the Consolidation Officer and the Consolidation Officer shall hear the parties, frame issues on the points in issue and take evidence and then decide the dispute. In the case of partition in case any objection is filed, the Consolidation Officer shall proceed with the partition, only after recording reasons in writing if he considers it in the interest of better consolidation.

12. There is no provision under the U.P. Consolidation of Holdings Act or Rules framed thereunder by which provisions of O. XXIII, R. 3 of C.P.C. have been made applicable to consolidation proceedings. The intention of the Legislature while enacting U.P. Consolidation of Holdings Act was development of agriculture land as is eloquent from the preamble of the Act.

13. As stated supra, the only provision under the U.P. Consolidation of Holdings Act and the Rules framed thereunder for conciliation is Rule 25-A. Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules, as discussed above, provides that a person could get his rights settled through conciliation in case his rights are recognised by a statute. A person cannot get any right settled or declared in conciliation proceedings under Rule 25-A of the U.P. Consolidations of Holdings Rules if his rights are not recognised by statute. The intention of Legislature while framing Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules clearly is that the parties may not be drawn into avoidable and unnecessary litigation relating to their legitimate rights created under U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and for correction of the entries in the revenue records. Intention of Legislature while enacting Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules is clear and a person cannot get any right under Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules which was never created and recognised by the statute under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act on abolition of Zamindari or under any other subsequent amendment of U.P. Zamindari Abolition & Land Reforms Act. A tenure-holder could get his legitimate right of co-tenancy in case land was acquired by common ancestors or jointly by way of reconciliation. Similarly, if an entry in the joint name of a number of tenure-holders is incorrectly recorded, parties may get the entry corrected by conciliation under Rule 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules setting the matter/rights by mutual partition or by recognising family settlement already taken place and already acted upon by the parties to get the entry corrected accordingly. But a tenure-holder cannot get any exclusive right in a proceeding under Section 25-A of the U.P. Consolidation of Holdings Rules unless such Rules are recognised by statute.

14. In 1976 (2) R.D. 69, *Kale v. Deputy Director of Consolidation*, it has been held by the Supreme Court that family arrangements acted upon by parties could be recognised by the consolidation authorities as family arrangement operates as estoppels against parties having taken benefit thereunder.

15. There is no provision under the U.P. Consolidation of Holdings Act for compromise at any of the stage of consolidation proceedings either under Sections 9-A, 9-B, 11, 20, 21 or Section 48 of the U.P. Consolidation of Holdings Act. Though under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, the provisions of C.P.C. are made applicable by virtue of Section 341 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and in appropriate cases in the suits arising out of U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, a compromise could be entered into.

16. Under the U.P. Consolidation of Holdings Act, provisions of C.P.C. are not made applicable like Section 341 of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and as such there is no provision of compromise under the U.P. Consolidation of Holdings Act, but in order to secure interest of justice and cut short litigation, rights recognised by statute may be settled by mutual agreement before any Consolidation authority other than Assistant Consolidation Officer. Procedure prescribed under the C.P.C. are not applicable to consolidation proceedings, but if an agreement was entered into which was not contrary to the rights conferred by the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, such agreement in which all the parties including State joined may be legitimately relied

upon by the Consolidation authorities. Thus, a tenure-holder who did not have any right under the statute could not get any right by way of compromise or settlement.

17. Order XXIII, Rule 3 of the C.P.C. is being reproduced below:—

“3. Compromise of suit.— Where it is proved to the satisfaction of the Court that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or compromise (in writing and signed by the parties), or where the defendant satisfies the plaintiff in respect of the whole or any part of the subject-matter of the suit, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass a decree in accordance therewith (so far as it relates to the parties to the suit, whether or not the subject-matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the subject-matter of the suit).

(Provided that where it is alleged by one party and denied by the other that an adjustment or satisfaction has been arrived at, the Court shall decide the question; but no adjournment shall be granted for the purpose of deciding the question, unless the Court, for reason to be recorded, thinks fit to grant such adjournment.)

Explanation— An agreement or compromise which is void or voidable under the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), shall not be deemed to be lawful within the meaning of this rule.)”

18. Since right of a tenure-holder in land is a creation of statute under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act and these rights are declared or adjudicated by the Consolidation authorities for the area where the notification under S. 4 of the U.P. Consolidation of Holdings Act is made, only such statutory rights already in existence in favour of a person could be recognised through a lawful agreement or compromise in consolidation proceedings. A right which does not accrue to a person under the provisions of the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act or any other provision of law could not be recognised by any agreement or compromise in the consolidation proceedings. Thus, it is held that if a person had no right under the statute any such right could not be recognised or admitted by a compromise or a new right could not be created through compromise or conciliation.

19. It is clear from the law laid down by the Supreme Court in AIR 1961 SC 1790, Rana Sheo Ambar Singh v. The Allahabad Bank Ltd., Allahabad that Bhumidhari rights in all the estates vested in the State is a new statutory right under the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act. Relevant portion of the judgment is being reproduced below:—

“(7)..... We are of opinion that the proprietary rights in sir and khudkashat land and in grove land have vested in the State and what is conferred on the intermediary by S. 18 is a new right altogether which he never had and which could not therefore have been mortgaged in 1914.”

20. In view of the discussions made above, as in the present case there is no such family arrangement acted upon between the parties in which parties have taken benefit as claimed by the petitioners, the Deputy Director of Consolidation rightly set aside the compromise and orders passed by the Consolidation Officer and the Assistant Settlement Officer, Consolidation. Finding recorded by the Deputy Director of Consolidation does not suffer from any error of law apparent on the face of record in holding that the compromise relied upon by petitioner was not lawful. Impugned order was rightly passed in accordance with law. The questions framed above are decided accordingly.”

19. In the cases of *Babu vs. Abdul Shakoor*, MANU/UP/1922/2018 : 2018 (139) R.D. 36 and *Smt. Basmati vs. Deputy Director of Consolidation and others*, MANU/UP/4072/2019 : 2019 (145) RD 832, this Court observed that compromise will not be treated valid, in case, it takes place in violation of provisions under Rule 25-A of the U.P.C.H. Rules.

20. In the case of *Budh Lal and Anr. v. Dy. Director of Consolidation and ors.*, MANU/UP/0688/1982 : 1982 AWC 447 (DB), this Court observed that co-option under U.P.Z.A. and L.R. Act is not permissible.

21. Considered the observations made in the above referred judgments and the compromise on record, annexed as annexure no. 6, which does not bear signature of members of Consolidation Committee though the same is required as per Rule 25A of the Rules of 1954 also that a tenure holder/person could get his/her rights settled by way of conciliation in case his/her rights are recognized by a statute and cannot get any right settled or declared in conciliation proceedings under Rule 25-A of the Rules of 1954, if his/her rights are not recognized by statute and Section 171(2) of the Act of 1950.

22. Upon due consideration of aforesaid, this Court finds no force in claim of the petitioner based upon the compromise.

23. For the reasons aforesaid, this Court is of the view that the present petition is liable to be dismissed. Accordingly, the present petition is *dismissed*. No order as to costs.

Order Date :- 14.03.2024

Jyoti/-